न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 139/2017/75 एलआर एक्ट

1. राधेश्याम पुत्र गोपीराम जाति स्वामी निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. हरचन्द पुत्र मघदास जाति स्वामी निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.05.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर

प्रकरण संख्या 22/2014 अनवानी हरचन्द बनाम राधेश्याम

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –25.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरीत है। अपीलांट के द्वारा अपने जवाब मे यह कथन किया गया था कि रास्ता जहा से चाहा गया है वहा से नहर गुजरती है

तथा उस पर आने जाने के लिए पूल का निर्माण नही हुआ है ऐसी सूरत मे सायलान द्वारा चाहा गया रास्ता कतई सही नही है तथा ना ही वहा से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। बावजूद इसके रास्ता स्वीकृत कर दिया गया जो गलत है। रेस्पो0 द्वारा चाहा रास्ता गया रास्ता कि.न. 11 मे पश्चिम से पूर्व मे है ऐसा करने से अपीलांट के कि.न. 11 के दो भाग हो जायेगें जिससे उक्त किला काश्त के काबिल ही नही रहेगा बावजूद इसके पत्थर लाईन से रास्ता किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बीचो बीच रास्ता कि.न. 11 के बीच मे से स्वीकृत कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो सं. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत कर चक 3 बारानी के प.न. 334/353 मु.न. 86 के कि.न. 11 के उतरी दिशा मे पश्चिमी से पूर्व एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करते हुए मुताबिक रिपोर्ट चक 3 बारानी के प.न. 333/353 मु.न. 86 के कि.न. 11 मे (जो नजरी नक्शा मे लाल स्याही से पत्थर लाईन पर अंकित है) उतरी साईड मे पश्चिम से पूर्व एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया जो सही एवं विधि सम्मत तरीके से किया गया है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के मिथ्या कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 3 बारानी के प.न. 334/353 मु.न. 86 के कि.न. 11 के उतरी दिशा मे पश्चिमी से पूर्व एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 3 बारानी के प.न. 333/354 मु.न. 87 कि.न. 5,6,15,16 मे मे

मंजूरशुदा रास्ता है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवेचन करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य व प्रक्रियात्मक त्रुटि हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.05.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़